रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 1985/फाल्गुन 22, 1906
No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 1985/PHALGUNA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1985

1985 का आदेश संख्या 2

का. आ. 190(अ):—कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 का नियम 2(ङ) और नियम 3 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ की उप-धारा (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और 31 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र (असा.) के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) में

प्रकाशित कम्पनी विधि बोर्ड के 1985 के आदेश संख्या 1, दिनांक 25 जनवरी, 1985 [का. आ. 68(अ)] का आंशिक आशोधन करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित उक्त आदेश में एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन करता है ; नामश:

1985 के आदेश संख्या-1 में बनाई गई कम्पनी विधि बोर्ड की न्यायपीठ के संविधान में क्रम संख्या 6 पर प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि समाविष्ट की जाएगी ; नामश:

"7. श्री एल. डी. वेंकटरमण, सदस्य".

[फा. सं. 2/4/84-सी.एल.-5]

सी. जी. सोमैया, अध्यक्ष,
कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 12th March, 1985

ORDER No. 2 OF 1985

S.O. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Rule 2(e) and Rule 3 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in partial modification of the Company Law Board's Order No. 1 of 1985 dated the 25th January, 1985, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 31st January, 1985 [S.O .68(E)], the Company Law Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following changes in the said order, namely :—

In the constitution of the Bench of the Company Law Board made in Order No. 1 of 1985, after the entry at serial number 6, the following entry shall be inserted, namely :

"7. Shri L. D. Venkataraman, Member."

[File No. 2/4/84-CL.V]

C. G. SOMIAH, Chairman Company Law Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985